

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में  
दिनांक 19.01.2026 को  
अपरान्ह 03:30 बजे नारकोटिक्स  
( NCORD) से संबंधित बैठक

# चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग /8322/ लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन (**Codeine**), ऐल्प्रक्स (**alprax**) आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक “युद्ध नशे के विरुद्ध” विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act. )** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा “प्रहरी” नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविद्यालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

## बिन्दु संख्या-1

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं०. 1933 का निम्नानुसार प्रचार-प्रसार समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लाक, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सभी चौकी, थानों, स्कूल, कालेजो व सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से कराया जाये

### “एक युद्ध नशे के विरुद्ध”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, मारफीन एवं अन्य नशीली दवाईयो की बिक्री किया जाना पाया जाता है तो उसकी सूचना नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

## टोल फ्री नम्बर **1933**


उक्त बैनर/पोस्टर का डिजाइन डी.पी.एम.यू. सम्मल द्वारा तैयार किया जाये, पोस्टर में 1933 बडे फान्ट में दर्शाया जाय, जो दूर से दृश्यमान हो। उक्त बैनर/ पोस्टर व पम्पलेट आर.आई. पुलिस लाईन द्वारा सभी चौकी एवं थानों, महत्वपूर्ण चौराहो पर लगवाये जाये। जिला आबकारी अधिकारी, सम्मल द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी उच्च शिक्षा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को टोल फ्री नं. 1933 का पोस्टर उपलब्ध कराये, जिसे समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं समस्त ग्राम पंचायत भवनों में लगवाये जाये।

(कार्यवाही डी.पी.एम.यू. /जिला आबकारी अधिकारी/बेसिक शिक्षा /जिला विद्यालय निरीक्षक / प्रभारी उच्च शिक्षा /जिला पंचायत राज अधिकारी/ आर.आई पुलिस लाईन जनपद सम्मल।)

## बिन्दु संख्या-1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग सम्भल द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं0. 1933 का बैनर/पोस्टर का डिजाइन डी.पी.एम.यू. सम्भल द्वारा तैयार कराया गया, जिसमें पोस्टर/बैनर में 1933 बड़े फान्ट में दर्शाया गया है, जो दूर से दृश्यमान हो रहा है। आबकारी विभाग द्वारा अपने पत्रांक -219/22, 2019/25, 219/28, 219/31, 2019/34)/ NCORD/बैठक/आबकारी/दिनांक 05.01.2026 के द्वारा उक्त बैनर/ पोस्टर व पम्पलेट आर.आई. पुलिस लाईन को सभी चौकी एवं थानों, महत्वपूर्ण चौराहो पर लगवाये जाने हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। इसी प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी उच्च शिक्षा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उक्त टोल फ्री नं. 1933 का पोस्टर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। उक्त पोस्टरों समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं समस्त ग्राम पंचायत भवनों में लगवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।







# आबकारी विभाग एवं प्रभारी उच्च शिक्षा नशा मुक्ति शपथ



## बिन्दु संख्या-2

व्यापार कर एवं आबकारी विभाग जनपद सम्भल के राजमार्गों व अन्य जनपद से आने वाले मार्गों मुख्य रूप से अमरोहा सम्भल सीमा, सैदनगली, हजरतनगर गढ़ी पर रोड चैकिंग की जाये। उक्त रोड चैकिंग के दौरान अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनो की सघनता से जाँच किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुखबिर तंत्र विकसित कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्यवाही की जाये। आगामी बैठक में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही व्यापार कर/केन्द्रीय माल और सेवाकर/आबकारी/पुलिस विभाग जनपद सम्भल)

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण

# अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-2

## राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुरादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 16.01.2026 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह दिसम्बर 2025 में कुल 1105 वाहनों की जाँच की गयी । जाँच में 11 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 21.64 लाख के सापेक्ष रू0 16.30 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह दिसम्बर 2025 में 22 परचून के वाहनो की चैकिंग की गयी, जिसमें 01 दो वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल मूल्य रू0 02.72 लाख के सापेक्ष 3.00 लाख अर्थ दण्ड जमा कराया गया एवं माह दिसम्बर में लकडी के 15 वाहनों की चैकिंग की गई, जिसमें से 01 दोषी वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य 02.68 के सापेक्ष रू0 03.18 लाख का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया एवं 09 वाहन ईट, आयरन स्क्रेब, चीनी, जैकेट आदि माल से सम्बन्धित है जिनसे अभिग्रहीत माल मूल्य रू. 16.17 के सापेक्ष रू0 10.13 लाख कर /अर्थदण्ड जमा कराया गया। उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नहीं था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पादार्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1105	0

## बिन्दु संख्या-2 की अनुपालन आख्या आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह दिसम्बर 2025 में उक्त कार्यवाही के दौरान 444 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 74 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 2025.00 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा अमरोहा-सम्भल सीमा, सैदनगली, हजरतनगर गढी गवाँ-अनूपशहर मार्ग, चन्दौसी बहजोई मार्ग पर लगभग 42 वाहनों की रोड चैकिंग की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	42	0



# Excise and Police Department





## बिन्दु सं०-३

(क) जनपद में स्थित दवाइयों की दुकानों पर मनःप्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप की जाँच की जाये। यदि किसी दवाई की दुकान पर अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि पायी जाये तो अनाधिकृत मनः प्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप रखने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। सभी दवा की दुकानों, चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

क.सं.	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

(ख) चिकित्सक द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

क.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर की संख्या	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

## अनुपालन आख्या बिन्दु सं०-३

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2025-26/253 दिनांक 17.01.2026 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जाँच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनः प्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनः प्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' एवं 'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां' के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है। सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही है। क्रय/विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियों के क्रय/विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

क.सं.	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
1	12	पायी गयी कमियों के सापेक्ष औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी(विक्रय) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है।

# अनुपालन आख्या बिन्दु सं०-३

## मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल

- मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल ने अपने पत्रांक :सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2025-26/3147 दिनांक 31.12.2025 द्वारा अध्यक्ष, आई.एम.ए. सम्भल एवं चन्दौसी जनपद सम्भल को निर्देशित किया गया है कि चिकित्साको द्वारा मरीजों को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाये। सभी चिकित्सालयों एवं सामुदायिक केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर भी लगाये जाये।

### कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्भल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2025-26/3147

दिनांक 31/12/2025

अध्यक्ष,  
आईएमएओ सम्भल एवं चन्दौसी  
जनपद सम्भल।

विषय:- नारकोटिक्स औषधियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय सम्भल के पत्रांक 208/6-47/आबकारी/सम्भल /कार्यवृत्त, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 के क्रम में दिनांक 17.12.2025 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलों में सुधार के मकैनिसम को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक के कार्यवृत्त में कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या डी/8322/लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाए। सभी चिकित्सालयों एवं सामुदायिक केन्द्रों पर टोल फ्री नं०-1933 के पोस्टर भी लगाये जाये।

उक्त का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
जनपद सम्भल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2025-26/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद सम्भल।
2. जिला आबकारी अधिकारी जनपद सम्भल।
3. जिला औषधि निरीक्षक जनपद सम्भल।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
जनपद सम्भल।

## बिन्दु सं०-४

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाएँ यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” का प्रचार-प्रसार किया जाय। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों/कालेज एवं विशेष रूप से मेडिकल कालेज /महाविद्यालयों में नशा मुक्ति का प्रचार-प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक करेंगे।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग  
बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्मल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रह्मकुमारी संस्था)

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमिडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

## बिन्दु संख्या-4 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्भल, गायत्री परिवार एवं ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1311	158864
2	इन्टरमिडिएट	53	1893
3	डिग्री कालेज	10	500
4	अन्य	2	400
	योग	1376	161657

# गायत्री शक्तिपीठ दिनौरा में निकाली संस्कार शाला और नशा मुक्ति रैली



सम्भल (राष्ट्रीय सिद्धान्त)। गायत्री शक्तिपीठ दिनौरा पर बृहस्पतिवार को नव वर्ष पर पांच दिवसीय बाल संस्कारशाला एवं नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ दिनौरा के प्रागण में 5 दिवसीय बाल संस्कार शाला का आयोजन शुरू किया गया जिसमें योग एवं यज्ञ प्रशिक्षण संगीत व प्रवचन के साथ प्रशिक्षण भोजन प्रसाद के बाद पूरे गाँव में नशा मुक्ति फेरी निकाली गई। गायत्री मंत्र लेखन जप, आरती आदि के साथ

शांतिपाठ किया गया। इस कार्यक्रम में आचार्य एवं वरियवताओं ने आजाय शरपुर समर्थन एवं सहयोग किया। इस दौरान जिला समन्वय महापाल सिंह प्रदीप कुमार गोयल महेन्द्र सिंह यादव संतोष गुप्ता कमल सिंह यादव चरनपाल सिंह ओमप्रकाश सिंह सोमपाल सिंह पुष्पेंद्र यादव कुमारपाल यादव भूपेंद्र यादव प्रमोद गुप्ता श्रीमती माला देवी कुमारी भावना यादव आदि गायत्री परिजन मौजूद रहे।

गायत्री परिवार के प्रक यु





# गायत्री परिवार





# ब्रह्मकुमारी प्रजापिता



## बिन्दु संख्या-5

COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक "बाल संसद" एवं "प्रहरी क्लब" द्वारा अपने स्कूल/कालेज में "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप में उपलब्ध कराये—

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक  
/बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल)

क्र.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

## बिन्दु सख्या-5 की अनुपालन आख्या

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	156117
2	प्रहरी क्लब	1299	1299	156617
	योग	2588	2588	312734

# समाज कल्याण विभाग









Shot on OnePlus  
Waaiz



Shot on OnePlus  
Waaiz

## बिन्दु सं.-6

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

## अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-7

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”  
“नशा मुक्त भारत अभियान”  
“नशे को ना जीवन को हॉँ”

**NCORD**